

01.12.2017

बी.ए. नंबर- 419/17

न्यायालय रिक्त होने के कारण प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।  
आवेदक श्रीमती किरण द्वारा के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता  
उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त अपर लोक  
अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद के अपराध क्रमांक 14/14 अंतर्गत  
धारा-419, 420, 467, 468, 469 एवं 34 भा0दं0सं0 की कैफियत व  
केस डायरी प्राप्त।

आवेदिका के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438  
दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक श्रीमती किरण के पति कोमल सिंह के  
द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में  
व्यक्त किया गया है कि यह आवेदिका का प्रथम अग्रिम जमानत  
आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य  
कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च  
न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त  
हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से स्पष्ट होता है। ऐसा ही केस  
डायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदिका के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438  
दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदिका की ओर से व्यक्त किया गया है कि वह अनपढ़  
महिला होकर संभ्रान्त परिवार की सदस्य है। आवेदिका के अनपढ़  
होने का लाभ उठाकर लोन दिलाने के बहाने से उसका फोटो  
खिंचवाकर उसका अनुचित उपयोग कथित मामले के विक्रय पत्र में  
क्रेता द्वारा किया गया है, जबकि आवेदिका कथित विक्रयपत्र से  
कोई संबंध सरोकार नहीं है और न ही कथित अपराध से कोई  
संबंध सरोकार है। आवेदिका गरीब महिला है जो कि अगूठा करती  
है। वह कोर्ट कचहरी, थाना एवं अन्य शासकीय संस्थान से  
अनभिज्ञ है। इसलिए कथित मामला आज के प्रकृम पर आवेदिका  
के विरुद्ध शंका से परे प्रमाणित नहीं है और न ही आवेदिका के  
विरुद्ध कोई साक्ष्य है। आवेदिका मजदूर पेशा महिला है, आवेदिका  
के छोटे-छोटे नाबालिक बच्चे हैं, जिनका भरण पोषण व देखरेख  
का दायित्व आवेदिका पर है, ऐसी स्थिति में यदि आवेदिका को  
न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया तो आवेदिका के परिवार के समक्ष  
भरण पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आवेदिका  
पर्दानशील महिला है आवेदिका सीधी साधी महिला है। आवेदिका के  
विरुद्ध पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठा अपराध दर्ज कर लिया  
गया है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर यातनाएं देने के लिए  
प्रयत्नशील है। आवेदिका निर्दोष है। यदि पुलिस द्वारा आवेदिका  
को गिरफ्तार कर यातनाएं दी गईं तो आवेदिका के मानसिक  
विक्षिप्त होने की आशंका है और न्यायिक अभिरक्षा में आदतन  
अपराधियों के सम्पर्क में रहने से आवेदिका के जीवन पर बुरा  
प्रभाव पड़ेगा और उसकी समाजिक छवि धूमिल हो जाएगी। उक्त  
आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की  
गयी है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक 458 रकवा 0.83 हेक्टे0, 633 रकवा 0.43 हेक्टे0, 673 रकवा 0.20 हेक्टे0, 872 रकवा 0.35 हेक्टे0, 1122 रकवा 0.40 हेक्टे0 एवं 1419 रकवा 0.11 हेक्टे0 कुल किता 06 कुल रकवा 2.32 हेक्टे0 स्थित ग्राम चंदहारा तहसील गोहद में से 0.58 हेक्टे0 के हिस्से की फरियादिया गुड्डी बाई स्वामी एवं आधिपत्यधारी है परंतु दिनांक 06.07.12 को फरियादिया गुड्डी बाई के स्थान पर श्रीमती किरन ने स्वयं को गुड्डी बाई के रूप में प्रतिरूपित करते हुए गुड्डी बाई के स्थान पर स्वयं खड़ी होकर अपना फोटो लगाकर फर्जी तौर पर कपट पूर्वक विक्रयपत्र का निष्पादन किया, जिसमें श्रीमती सुनीता केता थी तथा उक्त विक्रय एवं विक्रयपत्र के गवाह श्रीमती सुनीता के पिता पंचम सिंह एवं गब्बर सिंह थे। उक्त विक्रयपत्र श्रीमती सुनीता देवी, गब्बर सिंह एवं पंचम सिंह ने मिलकर धोखाधड़ी, कूटरचना करते हुए कराया तथा उस विक्रयपत्र पर श्रीमती किरन जाटव ने गुड्डी बाई के रूप में अंगूठा लगाया तथा सुनीता ने केता के रूप में तथा गब्बर सिंह ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर तथा पंचम सिंह ने अंगूठा निशानी लगाया और उसके गवाह बने। तत्पश्चात गुड्डी बाई के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर मामले की जांच की गई तथा अपराध पाए जाने पर थाना गोहद में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते हुए, अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदक की ओर से प्रमुख आधार यह लिया गया है कि आवेदिका के अनपढ़ होने का लाभ उठाकर लोन दिलाने के बहाने से उसका फोटो खिंचवाकर उसका अनुचित उपयोग कथित मामले के विक्रय पत्र में केता द्वारा किया गया है, जबकि आवेदिका कथित विक्रयपत्र से कोई संबंध सरोकार नहीं है परंतु यह आधार बचाव के स्तर का है। सह अभियुक्त सुनीता केता के रूप में है और उसका जमानत आवेदन धारा-439 दंडप्र0सं0 के तहत स्वीकार हुआ है। आवेदिका किरण विक्रेता के रूप में है और उसके विरुद्ध यह आक्षेप है कि उसने स्वयं को गुड्डी बाई के स्थान पर प्रतिरूपित करते हुए विक्रयपत्र का निष्पादन किया है। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप तथा आवेदिका किरण के विरुद्ध आक्षेप को देखते हुए उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः आवेदिका किरण का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

केसडायरी आदेश की प्रति के साथ वापस हो।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड